

जज अदालत उपायुक्त अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

द्वारा तहसीलदार बनाम राजाखेड़ा

किस्म मुकदमा गुणपतु धारा नं. 136 LR Act सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
6/01/20	<p>आज यह गर्जना पर आर्म्स धारा 136 LR Act तहसीलदार राजाखेड़ा से पत्र लिपि गवा धारणा पर पूर्ण रजिस्ट्रर लिपि जाकर जमावती वाले गौर दिनांक 30/01/20 को पत्र देा <u>क</u></p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)</p>	
30/01/20	<p>जमावती पत्र हुई तथा इस प्रकार से है कि यह गर्जना पर इस न्यायालय तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा इन कंपनों के साथ पत्र लिपि गया है कि राजस्व ग्राम फरासपुरा की सिद्ध जमावती के लिये सं. 186 में ख.न 2372 रकबा 5.17 बीघा गैर मु. वीड आर्किटेड ग्राह फरासपुरा की जमावती सं. 2051-2054 के लिये सं 1 में खसतान 2372 रकबा 3.07 बीघा गैर मु. वीड तथा लान सं. 237 में ख.न 2372 रकबा 2.10 बीघा (वाट्टेयों में आर्किटेड पार्लि ल.न 2372 जो डेने लाने (खराब 1 व 237) में है। उनका कुल रकबा 5.17 बीघा है जो सिद्ध रकबा 5.17 बीघा के बराबर है। ग्राम फरासपुरा की जमावती सं 2055-2058 के लिये सं. 199 में (वस्य गभर 2372 रकबा 2.10 बीघा (वाट्टेयों में आर्किटेड व ग्राम वाट्टेयों की जमावती सं. 2055-2058 के लिये सं. 1 में खसतान 2372 रकबा 3.07 बीघा गैर मु. वीड वीड आर्किटेड जो ए ग्राम फरासपुरा में से गवीन राजस्व ग्राम वाट्टेयों के पुराना डेक है तथा ग्राम फरासपुरा व वाट्टेयों में आर्किटेड लिये न 2372 का रकबा सिद्ध में आर्किटेड रकबा के बराबर है ख.वर्तमान में जो डेने राजस्व ग्रामों की जमावती में रकबा उपायुक्त</p>	

अपेक्षा है। इस प्रकार (व नं. 2372 के शेनाग्रामों में देने के कारण) शेनाग्रामों में अलग अलग नवीन विसय नम्बर दिए जाते हैं अपेक्षा उदाहरण के लिए विनियम क्रिय गाय है

इसने उत्तर प्राचीन पत्र पर उत्तर देखा जाए का अवलोकन किया प्राचीन पत्र एव रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शे. नं. 2372 रकबा 5-17 बीघा आदिग्राम व क्षेत्र में एक ही ग्राम एक ही क्षेत्र में था। इस नम्बर में 2-10 बीघा भाग में सुवीर से बाद में क्षेत्र में आवेदन/विपन्न या अन्य कारणों से बनी गयी है। जिस पर यह पत्र (व नं. उत्तर नोडिपे या, जो विधिकीय फाई से नयी डल्य है) जो कारील डूठरी है तथा रिकॉर्ड के सही संदर्भ से इसका सुद्ध क्रिय पाला अवलोकन है इसलिए इस रिकॉर्ड में सुद्ध क्रिय पाला अर्थात् सपटरे है

अतः अपेक्षा है कि प्राचीन पत्र अर्थात् धार 136 Act के तहत क्रिय जाकर अपेक्षा क्रिय पाला है कि राजस गाम कासपुरा की नक्का जमाकरी में वर्तमान में खरास 199 में दर्ज (व नं. 2372 को सुद्ध क्रिय जाकर 2372/1 दर्ज किया जाने के

अपेक्षा क्रिय जाते हैं तथा ग्राम वाइरीया का के व नं. 2372 रकबा 3-07 बीघा पक्कर 2 से जाने के अपेक्षा क्रिय जाते हैं अथवा राजस रिकॉर्ड में सुद्ध है कि निर्णय की गई पालना के लिए उत्तर उत्तर राजस का भेजा जावे। पत्रावली के तहत सुमार रेकर्ड बाद तकनीक शामिल 3-2-2 का डुकुम सुनाय गया

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)